मिसिल संख्या एस.एफ.ए.सी./1-2/42/2024-सामान्य प्रशासन/आर.टी.आई/सूचना 1012

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ,
पांचवा तल, एन.सी.यू.आई. ऑडिटोरियम बिल्डिंग,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास, नई दिल्ली- 110016

दिनांक - 06.08.2025

सेवा में,

श्री अमिताभ पांडे,
जी-86/29, तुलसी नगर,
भोपाल- 462003

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या SFABC/R/E/25/00030 दिनांक 03.07.2025 के संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी हेतु निम्न टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जा रही है:-

प्रश्न	टिप्पणी
कृपया आपके पत्र दिनांक 02.07.2025 का संज्ञान लें, जो आपने श्री शाजी जॉन को उनके आरटीआई कमांक SFABC/R/E/25/00004 दिनांक 08-02-2025 एवं आरटीआई अपील क्रमांक SFABC/A/E/2025/00005 दिनांक 02.07.2025 के जवाब में भेजा था। आपका यह पत्र श्री शाजी जॉन द्वारा सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया है, जिससे संबंधित आपसे जानकारी चाही जा रही है। 1. क्या श्री शाजी जॉन को आपके द्वारा ऊपर उल्लेखित पत्र (आरटीआई अपील का जवाब) भेजा गया? 2. क्या उक्त पत्र में आपने यह यह माना कि आपके CPIO द्वारा आरटीआई क्रमांक SFABC/R/E/25/00004 दिनांक 08-02-2025 में भेजा गया जवाब त्रुटिपूर्ण था? 3. क्या उक्त पत्र में आपने आरटीआई अधिनियम के धारा 8 I (d) एवं (j) का हवाला देकर जानकारी ना देने की छूट चाही हैं?	दिनांक 02.07.2025 के आदेश की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

4. कृपया यह बताए की उक्त पत्र में उल्लेखित NPMA को दिसंबर 2020 से दिसंबर 2024 तक एसएफएसी के साथ हुए अनुबंध के असार कितनी राशि का भुगतान किया गया।

वर्ष	भुगतान किया गया राशि
2020-21	
2021-22	
2022-23	
2023-24	
2024-25	
योग	

5. उक्त पत्र में Project Implementation Plan एवं detailed SOPs का भी उल्लेख था। कृपया बताए-

A. SFAC और NPMA के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार क्या NPMA को Project Implementation Plan एवं detailed SOPs बनाने की जिम्मेदारी दिया गया था?

B. क्या Project Implementation Plan एवं detailed SOPs बना हुआ हैं

C. यदि हाँ तो कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या Project Implementation Plan एवं detailed SOPs एक सार्वजनिक दस्तावेज हैं या नहीं

D. क्या एनपीएमए को Project Implementation Plan एवं detailed SOPs बनाने का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भुगतान गया

E. कृपया Project Implementation Plan एवं detailed SOPs की एक soft copy उपलब्ध कराये। यदि वह Project Implementation Plan एवं detailed SOPs किसी साइट पर अपलोड हैं तो इस वेब्साइट का लिंक दें।

मांगी गई सूचना किसी तृतीय पक्ष से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित तृतीय पक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा उक्त सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

तृतीय पक्ष बिंदु संख्या 4 और 5 (A to E) में उल्लिखित जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत नहीं है। यह गोपनीय प्रकृति की है और किसी व्यापक जनहित में नहीं है।

यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस संबंध में निम्न को संबोधित कर सकते है :-

उप निदेशक (Admin.)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ,
हौज़ खास, नई दिल्ली- 110016

भवदीय,

(रत्नेश कुमार चौधरी)
(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)

File No. SFAC/RTI/1-3/2/2024

Small Farmers Agribusiness Consortium
(Society promoted by Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India)
5th Floor, NCUI Auditorium Building, August KrantiMarg,
HauzKhas, New Delhi – 110 016.
www.sfacindia.com Email: sfac@nic.in

Date: 02.07.2025

ORDER आदेश

Whereas an online RTI appeal bearing No. SFABC/A/E/25/00005 dated 18.06.2025 under RTI Act, 2005 has been received from Sh. Shaji John stating that "*Our RTI queries have been dodged on flimsy grounds. Our queries are very specific and not providing the information amounts to SFAC either not maintaining the information or not willing to divulge the information. We would appeal to you to kindly provide us the information sought by us in our RTO*" in respect of his RTI application bearing No. SFABC/R/E/25/00004 dated 08.02.2025. In this regard, it is stated that reply to your RTI request has been sent vide SFAC letter no.SFAC/1-2/42/2024-GA.RTI Information/517 dated 17.06.2025(attached).

The matter has been examined and it is noted that the reply to Point no 3 & 4 of the RTI application was not proper and can be attributed to inability of CPIO to express properly. **This office is maintaining all the official records and vouchers** pertaining to payments released to NPMA (M/s E&Y LLP) from time to time, in accordance with the terms and conditions of the agreement between SFAC and NPMA and as provided under various rules and instructions issued by the Government. However, the information requested by the applicant is not maintainable under the provisions of the Right to Information Act,2005. In this regard, it is informed that as per Section 8(1) (d) & (j) of the Act, the information sought is exempt from disclosure, since it is a commercial information as well as personal information of NPMA (M/s E&Y LLP), the disclosure of which is not related to any public activity or interest and would constitute an unwarranted invasion of privacy and may affect their competitive position for future projects.

Further, the information sought vide point no. 5 also attracts Section 8(1) (d) of the ACT as it is on the record that **the applicant is also working in the field of FPO development and providing information regarding detailed SOPs and Project implementation plan will compromise the competitive position of the NPMA**(M/s E&Y LLP).

With the above observation, the appeal dated 18.06.25 of the appellant stands disposed of.

N. [signature] 02/07/2025

(PrasanthChander N) (प्रशांत चंद्र एन)
Dy. Director (Admin.) & First Appellate Authority
उप निदेशक (प्रशासन) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

Mr. Shaji John,
73, Laxmi Nagar, Piplani PO,
Bhopal, Madhya Pradesh.
Email: shaji1765@gmail.com